(1)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट ग्वालियर , सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवा म०प्र० निगरानी 974-III-15

86 / 6.4.15

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2015

COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 Rs.

...कुमार सिंह ... द्वारा आज दिनांक 06.4.15 को पेश किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

1- भट्ठू सिंह तनय गुरुदत्त सिंह

क्रमांक 4983 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज 10-4-15 को प्राप्त

2- चम्पा देवी पत्नी जगतबहादुर सिंह उर्फ छोटे लाल सिंह

3- श्रीमान सिंह तनय जगवन्त सिंह, सभी निवासीगण ग्राम बुढिया, तह०

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म०प्र० ------- निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1- गंगा सिंह तनय जगबहादुर सिंह

2- परमेश्वर सिंह तनय जगवन्त सिंह

3- प्रभुनाथ सिंह तनय जगवन्त सिंह

4- जोखू सिंह पिता जगबहादुर सिंह फौत:

~~...~~ क- बैजनाथ सिंह उम्र 54 वर्ष,

ख- राजेश सिंह उम्र 35 वर्ष, |

| पिता जोखू सिंह

~~...~~ सिंह उम्र 30 वर्ष

5- हीरालाल सिंह पिता गंवी सिंह सभी निवासीगण ग्राम बुढिया,

तह० रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म०प्र० ------- गैरनिगरानीकारगण

निगरानी विरुद्ध प्रकरण क्र० 15/अ-6/ 2011-12

आदेश दिनांक 26-2-15 न्याया० श्रीमान्

अपर जिलाध्यक्ष महोदय रीवा, म०प्र०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व

संहिता सन 1959 ई०

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.974.-III/15..... जिला ...शीवा.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.15	मैंने निगरानीकार पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं नस्ती के अभिलेखों का परिशीलन किया। इनके प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि नामांतरण पंजी के आदेश दि. 30.4.09 के विरुद्ध SDO के समक्ष 25.11.09 को अपील प्रस्तुत हुई, जिसपर SDO रायपुर कर्चुलियन ने विलम्ब माफी का निर्णय लिया। इसके विरुद्ध अपर कलेक्टर, शीवा के समक्ष निगरानी हुई, जिसे उन्होंने आक्षेपित आदेश दि. 26-2-15 से निरस्त किया। इसके विरुद्ध रा.मं. में यह निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि. 26-2-15 के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि यह आदेश एक स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश है जिसमें निष्कर्ष के कारणों एवं आधारों का स्पष्ट खुलासा करते हुए यह लिखा गया है कि नामांतरण पंजी के मूल प्रकरण में सभी सहखातेदारों, सरहदी कृषकों के हस्ताक्षर नहीं हैं और इसतहार	

[कृ. प. उ.

R 974/III/15 रीवा

मिट्टू गेंगा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकाशित नहीं हुआ है, जिस कारण गैरनिगराकर्ता पक्ष को विलम्ब से जानकारी मिली, जिस वजह से SDO के समक्ष अपील करने में विलम्ब हुआ, जिसे (जिस विलम्ब को) माफ किया जाना उन्होंने उपयुक्त पाया है। मैं अपर कलेक्टर के उक्त निष्कर्ष से सहमत हूँ, क्योंकि विलम्ब माफी के उक्त आधार मान्य किए जाने योग्य हैं, एवं चूंकि प्रकरण का गुणदोष प्रथमदृष्टया इतना महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है कि उसपर विचार करना उपयुक्त होगा, जिसके लिये न्यायहित में पहले विलम्ब माफी की जानी होगी। वैसे भी, चूंकि विलम्ब माफी के उपरान्त भी उभयपक्ष को SDO के समक्ष अपना पक्षसमर्थन करने का अवसर उपलब्ध है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि केवल विलम्ब माफ किए जाने से किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हो गए हैं या प्रभावित होने संभावित हो गए हों। अतः मैं अपर कलेक्टर के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता एवं उसे यथावत रखते हुए यह निगरानी अग्राह्य करता हूँ। आदेश पारित। प्रकरण समाप्त। पक्षकार सूचित हों। दा.द.हो।	

28.12.15
सदस्य